सं.31011/12/2015-स्था.(क-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 28 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सेवारत केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को एलटीसी सुविधाएं- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन-स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24.04.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 के अनुसार, उत्तर-पूर्व क्षेत्र, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में तैनात केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी जिन्होंने अपने पुराने मुख्यालय अथवा निवास के किसी अन्य चयनित स्थान पर अपने परिवार को रखा हुआ है, को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान दो अतिरिक्त अवसरों पर "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" की अनुमति दी जाएगी ताकि सरकारी कर्मचारियों और/अथवा उनके परिवारों (केवल पत्नी और आश्रित बच्चों तक ही सीमित) को किसी आपातकाल की स्थिति में या तो गृह नगर अथवा तैनाती के स्थान पर यात्रा करने में समर्थ बनाया जा सके।

2. इस संबंध में इस विभाग को इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" सरकारी सेवक को केवल तैनाती के स्थान से गृह नगर की यात्रा करने के लिए ही उपलब्ध है <u>अथवा</u> क्या सरकारी सेवक इस सेवा का लाभ उनकी इन क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण की अवधि के लिए उनके द्वारा घोषित किए गए परिवार के निवास के चयनित स्थान पर यात्रा के लिए भी उठा सकते हैं।

3. इस मामले पर इस विभाग में व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" का लाभ उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी एक स्थान नामतः गृह नगर **अथवा** इन क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण की अवधि के लिए उनके द्वारा घोषित किए गए परिवार के निवास के किसी चयनित स्थान पर यात्रा के लिए उठाया जा सकता है।

सूर्य ना।।2019 झा 28.2.20

(सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

क्रमशः....2/-

पूर्व पृष्ठ से:

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।